वगैरह की डिमांड आती है तो जैसे पैरा-मिलिट्री-फोर्सिस का इस्तेमाल किया जाता है उस तरीके से आर.पी.एफ. का भी इस्तेमाल किया जाता हैं और मैंने अभी घोषणा की है। आर.पी.एफ. को हम और मजबूत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और इसके साथ की साथ पहली दफा हम यह भी कर रहे हैं कि 750 महिलाओं की हम बहाली कर रहे हैं, रेलवे पुलिस में महिलाओं की बहाली भी हम करने जा रहे हैं। यदि पुरुष सक्षम नहीं है तो महिलाएं कम से कम सक्षम हो जाएं। ....(**व्यवधान**)....

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : आर.पी.एफ. का और कहां इस्तेमाल करते हैं? ....(**व्यवधान**)....

श्री शिवचरण सिंह: उस फोर्स को इसीलिए खड़ा किया गया था और फोर्स का यही काम था लेकिन बीच में ढिलाई आ गई, फोर्स का एक्सपैंशन नहीं हुआ और फोर्स का एक्सपैंशन करने के बाद उससे आप पूरी तरह प्रॉपर्टी की रक्षा कर सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान: अभी हम करीब 10,000 आर.पी.एफ. की भर्ती करने जा रहे हैं और जवानों की संख्या के कारण यदि उसमें कोई कमी आएगी तो हम संख्या को बढ़ाने में भी नहीं हिचकेंगे, लेकिन यदि संख्या बढ़ाने से ही समस्या का निदान हो जाए तो अच्छी बात हैं।

श्री शिवचरण सिंह : 40 साल हो गए उस फोर्स को और यदि उस फोर्स से काम नहीं.....

सभापति: प्रश्न संख्या 145 ।

वन संरक्षण कानूनों की संगतता

***145. श्री ओ.पी. कोहली:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1996 के "कुबेर टाइम्स" में प्रकाशित उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि "देश में वन संरक्षण संबंधी कानून अत्यधिक सैद्धान्तवादी एवं असंगत हैं जिनका सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार वन संरक्षण कानूनों को व्यावहारिक तथा वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन से संगत बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जयनारायण प्रसाद निषाद): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विद्यमान वन कानूनों में वन वासियों की सामाजिक आर्थिक पारिस्थितियों पर ध्यान दिया गया है और अस्तित्व निर्धारण, प्रकृति तथा वनवर्धन की दृष्टि से उपलब्ध वनोपज पर उनके अधिकारों की व्यवस्था है। तथापि, 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुरूप वनों की सुरक्षा और अनुरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर हाल में दिए गए बल से केन्द्रीय सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 सहित मौजूदा वन कानूनों में उचित परिवर्तन करने की कार्रवाई कर रही है।

श्री ओ.पी. कोहली: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के वन संरक्षण कानूनों के परिणामस्वरूप वन की जन-जातियों और वनों के स्थानीय समुदायों में अलगाव, एलिनेशन बढ़ता जा रहा है? क्या सरकार ने वन संरक्षण कानूनों के वन की जनजातियों और स्थानीय समुदायों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का कोई गहन अध्ययन किया है? यदि किया है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और जनजातियों और स्थानीय समुदायों के अलगाव को कम करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद: सर, वर्तमान वन कानूनों में भी वन-वासियों की परिस्थितियों पर ध्यान दिया गया है और माइनर फॉरेस्ट प्रोडयूस में इनकी भागीदारी की व्यवस्था है, फिर भी राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार वनों की सुरक्षा में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव अधिनियम 1972 में उचित परिवर्तन पर विचार कर रही है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार स्थानीय लोगों को सम्मिलित करके वनों की सुरक्षा एवं रख-रखाव के लिए गाइडलाइन्स भारत सरकार ने 1 जून 1990 को सभी राज्यों एवं यूनियन टेरेटरीज़ को जारी किए हैं गाइडलाइन्स के आधार पर अभी तक 16 राज्यों के स्थानीय गांव वालों के सहयोग से वनों के प्रबंध के लिए नोटिफिकेशन जारी किया हैं। इसलिए लोगों को वन प्रबंधन की योजना से लेकर अंतिम वन उपज के उपयोग के विषय में सम्मिलित किया जाता है। ऐसे प्रबंध को संयुक्त वन प्रबंध कहा जाता हैं संयुक्त वन प्रबंध के वन क्षेत्रों में सभी प्रकार की छोटी वन उपजों एवं लकड़ी आदि के घरेलू उपयोग के लिए स्थानीय लोगों को पूरा अधिकार है ऐसे वन क्षेत्रों की अंतिम उपज में से स्थानीय लोगों को 25 से लेकर 100 प्रतिशत तक हिस्सा दिया जाता है।

श्री ओम प्रकाश कोहली : सभापति जी, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट 1927 में सुधार के लिए सरकार ने कोई मसौदा संशोधन, ड्राफ्ट अमेंडमेंट तैयार किया था जिसके गुण-दोषों का विचार करने के लिए श्री बलराम जाखड़ की अध्यक्षता में एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था? क्या उस कोर ग्रुप का अभी अस्तित्व है या उसे समाप्त कर दिया गया है? क्या कोर ग्रुप की कोई बैठक अभी तक हुई है? क्या उस कोर ग्रुप ने अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दे दिया है?

श्री जय नारायण प्रसाद निषाद : उनकी रिपोर्ट है, वह विचाराधीन है।

श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी : रिपोर्ट आ गई है या नहीं, पहले इसका उत्तर दें।

श्री ओम प्रकाश कोहली : आपको कोर ग्रुप के बारे में पता है या नहीं, पहले यह बताइए। उस को ग्रुप की कोई मीटिंग हुई है या नहीं? कोर ग्रुप ऐक्जिस्ट करता है या नहीं?

श्री जय नारायण प्रसाद निषाद : ऐक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और विचाराधीन है।

श्री सोमपाल : सभापति महोदय, समाचारपत्र में छपे जिस समाचार की चर्चा हमारे साथी श्री कोहली ने की है, मैंने वह टिप्पणी पढ़ी है और जिस संदर्भ में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह टिप्पणी की थी, उस दस्तावेज को भी मैंने विस्तार से देखा है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि हमारे जितने भी वन संरक्षण कानून हैं और जितनी भी वन रक्षण की व्यवस्था है, वह वनों के ऊपर आश्रित लोगों को विशेषकर वनवासियों और जनजातियों के यथार्थ से बिल्कुल अपरिचित है और यह कड़वा सत्य है कि उनका जो परंपरागत अधिकार था उन वनों से उपज लेने का और उनके द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने का और अपनी आजीविका कमाने का, वह कानूनों द्वारा छीन लिया गया है और कोई वैकल्पिक अधिकार अथवा कोई वैकल्पिक पेशा उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया सरकार ने। तो वे कहां जाएं? यह बहुत ज्वलंत समस्या है और बहुत गंभीर समस्या है। यह उस कमजोर वर्ग की समस्या है जिसके पास न भूमि है, न कोई पेशा है, न शिक्षा है और न कोई कार्य-कौशल उसको उपलब्ध कराया गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका एक निदान जो बार-बार सुझाया गया है और अगर मुझे ठीक स्मरण है तो कम से कम आधा दर्जन अवसरों पर मैं स्वयं संसद में कह चुका हूं कि वन लगाए जाने के लिए जितनी परती भूमि भारत में पड़ी है....(**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त : अच्छा है, और लंबा कीजिए।

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: Sir, he is providing protection to the Minister. *(Interruptions)*

श्री सोमपाल : क्या उस परती भूमि को इन वनवासियों को आवंटित किया जाएगा वन लगाने के लिए और आजीविका कमाने के लिए, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद : घरेलू उपयोग के लिए स्थानीय लोग और आदिवासियों को वन उपज के लिए पूरा अधिकार है। लेकिन वन उपज को बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है।

श्री सोमपाल : आप सिर्फ भूमि आबंटित करने की बात यहां पर ....(**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Assistance to Voluntary Organisations

*141. SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA: Will the MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the voluntary organisations being provided financial assistance by Government;

(b) whether it is a fact that such voluntary organisations should have been registered for at least two years at the time of making the application to Government for Central assistance;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether the Government provide financial assistance out of the Central Fund to the Women's voluntary organisations under any special scheme; and

(e) if so, what norms have been fixed to provide Central financial assistance to the